

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/4068

दिनांक - 03.06.25

प्रार्थीगण  
सांवलाराम पुत्र वगताराम  
जाति रबारी निवासी मीठड़ी  
खुर्द तहसील व जिला  
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1.कलाराम 2.टीकमाराम पिसरान खीमाराम 3.  
जुगताराम 4. गेमराराम पिसरानप फगलूराम 5.  
महादेवराम 6.भगाराम 7.सांगाराम 8.पीराराम पिसरान  
भीखाराम 9.बाबूराम 10.हरीयाराम पिसरान पीराराम  
11.तुलछाराम पुत्र लालाराम 12.गोविन्दराम पुत्र  
वगताराम 13.गेमराराम पुत्र लालाराम 14.ग्रेपाराम 15.  
जुगताराम पिसरान पदमाराम जातियान राईका  
निवासीयान मीठड़ी खुर्द, जसाई तहसील व जिला  
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 811/2024

दिनांक- 27/05/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मीठड़ी खुर्द पटवार हल्का जसाई तहसील व जिला बाड़मेर के खेत  
खसरा संख्या 117 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, खसरा संख्या 123 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा  
संख्या 64 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक  
तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व  
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में  
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र  
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 03.06.25

क्रमांक :- रीडर/2025/4069-72

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जसाई तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी सांवलाराम पुत्र वगताराम जाति रबारी निवासी मीठड़ी खुर्द तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कलाराम पुत्र खीमाराम जाति राईका निवासी मीठड़ी खुर्द तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर